(3)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 (पी0ए0) अपील सं0 06/2021–22

अखिलेश्वर यादव.....अपीलकर्त्ता।

बनाम

हराधन राय.....उत्तरकारी।

आदेश

17.12.2021

यह रे0मि0 (पी0ए0) वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–657/06–07 में पारित आदेश दिनांक–18.03.2020 के विरूद्ध दायर किया गया है।

प्रस्तुत अभिलेख एवं अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा कुरूवा विरना अंचल जरमुण्डी के गेंजर प्रधान दुबराज राय थे। उनके मृत्यु के पश्चात् अपीलकर्त्ता के पिता–सिंगेश्वर महतो को अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–102/1963–64 में धारा–05 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्त किया गया। इसकी सम्पुष्टि रे0मि0 अपील वाद सं0–104/1966–67 में उपायुक्त द्वारा भी की गई है। उनके मृत्यु के पश्चात् मौजा खास रहा। तत्पश्चात् अपीलकर्त्ता द्वारा मौजा के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–06 के अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। इसी बीच उत्तरकारी द्वारा भी धारा–06 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दाखिल किया गया कि उनके पूर्वज दुबराज राय गेंजर प्रधान थे। इन आवेदनों के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका में पी0ए0 वाद सं0–657/2006–07 प्रारंभ किया गया। इस पर अंचल अधिकारी, जरमुण्डी ने अपने पत्रांक–745/रा0 दिनांक–31.05.2007 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित करते हुए उल्लेख किया गया है कि "यदि गैंजर" सर्वे के आधार पर नियुक्ति की जाती है तो हराधन राय (उत्तरकारी) को और यदि अंतिम प्रधान के वारिशानों की नियुक्ति होनी है तो अखिलेश्वर यादव (अपीलकर्त्ता) को नियुक्त किया जा सकता है।

(4)

उत्तरकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में बहस दौरान कहा गया कि अपीलकर्त्ता के पिता की नियुक्ति माननीय आयुक्त के न्यायालय के रे0मि0 अपील सं0–29/1968–69 द्वारा रद्द किया जा चुका है। इसी आधार पर उत्तरकारी को प्रधान पद पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति किया गया। इस आदेश के विरूद्ध में अपीलकर्त्ता द्वारा इस न्यायालय में रे0मि0रिवीजन अपील सं0–60/2008–09 दायर किया गया। इस अपीलवाद में उत्तरकारी द्वारा अपीलकर्त्ता के पिता की नियुक्ति को खारीज किये जाने के संबंध में माननीय आयुक्त भागलपुर प्रमण्डल भागलपुर द्वारा रे0मि0 अपील सं0–29/68–69 में पारित आदेश की प्रति दाखिल नहीं किये जाने के कारण आदेश दिनांक– 04.08.15 द्वारा वाद को अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को पुर्नविचारर्थ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलकर्त्ता के दावों को जाँचोपरांत नियमानुसार प्रधान नियुक्त किया जाय।

तत्पश्चात् पुनः अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में कार्रवाई प्रारंभ की गई। उत्तरकारी द्वारा माननीय आयुक्त के न्यायालय के रे0मि0रिवीजन 29/68–69 में पारित आदेश की प्रति दाखिल किया गया जिसमें अपीलकर्त्ता के पिता की नियुक्ति के विरूद्ध दायर रिवीजन को स्वीकृत करते हुए पुर्नविचार हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को प्रतिप्रेषित किया गया। इसके वाद प्रधान पद पर किसकी नियुक्ति हुइ, दोनो पक्षों द्वारा कोई कागजात दाखिल नहीं किया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उत्तरकारी हराधन राय के पूर्वज गेंजर प्रधान दुबराज राय के पश्चात् अपीलकर्त्ता के पिता को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया। अपीलकर्त्ता के पिता की नियुक्ति के विरूद्ध दायर रे0मि0 रिवीजन वाद सं0–29/1968–70 को माननीय आयुक्त भागलपुर प्रमण्डल भागलपुर द्वारा स्वीकृत करते हुए पुर्नविचार हेतु अनुमंडल पदाधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया, आदेश में उल्लेख है कि :–

The results is that petition in revision has necessary to be allowed and the case remanded to the lower court for ensuring that election is held according to the provision of law.

5

इसी प्रकार माननीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश अब तक बरकरार है। माननीय आयुक्त के इस आदेश पर किसी भी पक्ष द्वारा आपत्ति नहीं किया गया है।

इसके आदेश के पश्चात् कोई भी मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त नहीं हुआ है। इस आधार पर दोनो ही पक्षों का दावा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम धारा–06 के अन्तर्गत नही बनता है किन्तु अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उत्तरकारी को संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–06 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है जो धारा–5 एवं धारा–6 के सम्यक विचारोपरांत न्याय संगत नहीं प्रतीत होता है। संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम धारा–5 एवं 6 के अन्तर्गत नियुक्ति प्रकिया निम्न प्रकार उदृत है :–

Sec-5 Appointment of village headman of a khas village.- On the application of a raiyat or of landlord of any khas village and with the consent of at least two-thirds of the jamabandi raiyats of the village ascertained in the manner prescribed, the Deputy Commissioner may declare that a headman shall be appointed for the village and shall then proceed to make the appointment in the prescribed manner.

Sec-6 Landlord to report the death of village headman. – When the village headman of a village which is not khas dies the landlord of the village shall report the fact within three months of its occurrence to the Deputy Commissioner with a view to the appointment of a village headman in the prescribed manner.

अतः अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को आदेश दिया जाता है कि संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–05 के अन्तर्गत मौजा के प्रधान की नियुक्ति की कार्रवाई की जाय।

इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.08 13:10:14 +05:30
Location: 169.254.227.244

लेखापित एवं संशोधित

5/12/14

उपायुक्त,
दुमका।

18/12/14

उपायुक्त,
दुमका।

26/10/21 - 31-01-22